न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 102/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 27.12.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

भवंरलाल आत्मज नन्दा जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

1. नाथूलाल आत्मज कन्हैयालाल उर्फ कान्हा माता छोटी बाई जाति लश्करी निवासी पांचडा की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।
2. भूरीबाई पुत्री भीमा पत्नी रामनाथ जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) मृत्यु दिनांक 16.7.2018

2/1–किशोरीलाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
2/2–फुलचंद पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ
2/3–कनफूल पुत्री भूरीबाई पत्नी चौथमल निवासीगण गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/4–राजबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी पूरणमल जाति लश्करी नि0 जगन्नाथ सरपंच के पास नयानोहरा तह. लाडपुरा जिला कोटा
2/5–चतरूबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी नन्दलाल जाति लश्करी नि0 आमा की झोपडिया अमलसरा पलायथा जिला बांरा राज0।
2/6–(मृतक) प्रभूलाल पुत्र भूरीबाई पुत्र रामनाथ जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/6/1–छोटीबाई पत्नी प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/6/2–सुनीता पुत्री प्रभूलाल पत्नी सुरेश जाति लश्करी निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2/6/3–जयन्तीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा।
2/6/4–गुडडी बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी मुकुट जाति लश्करी नि0 रघुवीरपुरा पो. पनवाड तह. खानपुर जिला झालावाड।

3. श्रवणी पुत्री भीमा पत्नी किशनलाल जाति लश्करी निवासी नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
4. घींसी बाई पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी ड्रैन के पास ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. रेखा पुत्री चतुर्भुज जाति लश्करी निवासी हेण्ड पम्प के पास बस्ती आमा तहसील अन्ता जिला बांरा।
6. छोटू आत्मज मन्ना जाति लश्करी
7. घांसी आत्मज मन्ना जाति लश्करी
8. चम्पा पुत्री मन्ना जाति लश्करी
9. हेमराज माता बच्ची बाई नाना मन्ना जी
10. धनराज माता बच्ची बाई नाना मन्ना जाति लश्करी निवासीगण किशनपुरा तकिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा।
11. कोटा एजूकेशन एण्ड सरल डवलपमेंट सोसायटी बी–65 बल्लभनगर कोटा जरिये अध्यक्ष राजवर्धन आत्मज विष्णु शंकर जाति महाजन निवासी बी–65 बल्लभनगर कोटा।
12. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट
श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1
श्री जगदीश खण्डेलवाल अभि0 रेस्पो0 क्रम–2/1ता 2/5 व 2/6/1ता 2/6/4 एंव 3,4,5,6 7,,8,9,10

:::निर्णय:::

दिनांक 24.7.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 102/2014 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान नाथूलाल बनाम भंवरलाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि नाथूलाल रेस्पो0 क्रम–1 ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 2.5.2003 को नामा0 सं0 186 ग्राम बोरखंडी तहसील लाडपुरा मे '' खातेदार ने अपने ख0 नं0 76 रकबा 1.54 है0 मे से अपने रकबा 0.06 है0 पूर्वी तरफ का केता कोटा ऐजुकेशन एण्ड रूरल डवपलमेंट सोसायटी को बेचान करने से रिपोर्ट पटवारी व जांच आईएलआर अनुसार नामान्तरकरण मंजूर है''। बावत पारित आदेश की अप्रसन्नता से प्रथम अपीलीय न्यांयालय जिला कलक्टर कोटा मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत दिनांक 21.4.2014 को अपील इस आशय की पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जांच किये बिना गलत रिकार्ड के आधार पर भंवरलाल द्वारा रेस्पो0 क्रम–11 को किये गये बेचान के आधार पर रेस्पो0 क्रम–11 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर किया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। ग्राम बोरखंडी के ख0 नं0 76 की 1.54 है0, ख0 नं0 79 की 0.28 है0. ख0 नं0 80 की 0.05 है0 कुल किता 3 की 1.87 है0 भूमि का नामा0 ससं0 30 से मृतक पारीबाई के स्वर्गवास के प्श्चात केवल मात्र भंवरलाल के वसीयत के आधार पर व भीमा का पुत्र बताकर अपने पक्ष मे तस्दीक करवा लिया जबकि विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है और उसकी वसीयत नही हो सकती। भंवरलाल रेस्पो भीमा का अथवा पारी बाई का पुत्र नही है और ना ही गोदपुत्र है। वसीयत दिनांक 7.6.1982 ग्राम नयानोहरा की भूमि के संबध मे भंवरलाल के पक्ष मे लिखना बताया गया जबकि इंतकाल ग्राम नयानोहरा स्थित भूमि का न खोला जाकर ग्राम बोरखण्डी की पुराने नम्बर नये खसरा नम्बर बताकर भंवरलाल के पक्ष मे मिली भगत कर गलत गांव की भूमि का इंतकाल सं0 30 तस्दीक किया गया जबकि ग्राम बोरखण्डी की भूमि के बावत कोई वसीयत आलेखित नही की गयी है। इस कारण इंतकाल सं0 30 व उसके आधार पर किये गये बेचान से खोला गया इंतकाल सं0 186 खारिज होने योग्य है। उक्त इंतकाल सं0 30 मे मृतक पारीबाई परिवार का सजरा अंकित नही किया है जबकि पारीबाई की मृत्यु के समय छोटीबाई भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थीजिनका कोई हवाला इंतकाल मे नही दिया गया। इस कारण उक्त गलत रूप से इंतकाल नं0 30 के आधार पर भूमि बेचान की गई भूमि अवैध व प्रभाव शून्य है। राजस्व रिकार्ड की नकले निकलाने पर उक्त तथ्यों की सर्वप्रथम दिनांक 11.3.2014 को जानकारी होने ने पर नकलो हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त कर रूपयो के इंतजाम कर लगने वाला समय मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश कर अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 आदेश दिनांक 2.5.2003 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण सं0 186 खारिज किया जावे तथा ख0 नं0 76 की 0.06 है0 भूमि मृतक खातेदार पारी के 1/3 हिस्से की भूमि का इंतकाल उसके वारिसान के पक्ष मे तस्दीक किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने निर्णय दिनांक 13.11.2018 से नामान्तरकरण 186 खारिज कर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित भूमि से संबधित विभिन्न न्यायिक प्रकरणो की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर समस्त प्रभावित पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना इंतकाल सं0 186 दिनांक 2.5.03 वाके ग्राम बोरखंडी को खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नही दिया कि मृतक भीमा के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी का उनकी पत्नी पारी बाई के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमे किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही है। मृतका पारी बाई की पुत्रिया भूरी बाई व श्रवणी बाई द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे पेश किया उक्त गुणावगुण पर खारिज किया गया जिसके विरूद्ध भूरीबाई व श्रवणीबाई द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील पेश की उक्त अपील को भूरीबाई व श्रवणी द्वारा विड्रो किया गया इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश एवं डिक्री बहाल रहने के बावजूद भी रेस्पो0 की अपील स्वीकर कर ली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। उक्त आराजी के संबध मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा वर्ष 2014 मे वर्ष 2003 के इंतकाल की लगभग 11 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है। इस अवधि मे वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी के संबध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा मे वाद जेरकार है उक्त वाद मे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रदान कर रखा है जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो रहा है। उक्त स्थेगन होने के बावजूद भी इंतकाल खारिज करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही करने बावजूद भी 11 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील मे मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र मे दिनाक 2.5.2003 से 4.4.14 को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 21.4.2014 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 4.4.2014 से 21.4.14 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नही चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मे विलम्ब कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपने अपील मेमो मे वर्णित इंतकाल की जानकारी 11.3.2014 को अपील मैमो के मद नं0 7 मे वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी होना दिनांक 11.3.14 वर्णित किया है उक्त तथ्यो को अपीलांट द्वारा लिखित बहस मे व जवाब धारा 5 मियाद अधि0 मे विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी भी उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर अपील को अंदर मियाद होना मानते हुये स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। रेस्पो0 क्रम –1 का उक्त आराजी से कभी कोई

संबध नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2018 वास्ते न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं जेरकार निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर तक स्थगित किये जाने बावत खारिज कर त्रुटि की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायालय अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–3 कोटा मे जेर वाद एवं अपीलांट द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अनुसधान अधिकारी द्वारा की गई जांच के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन्हे नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नही दिया कि इंतकाल नम्बर 19 दिनांक 18.3 71 से मृतक भीमा के बाद उसकी बेवा पारी के नाम तस्दीक किया गया तत्पश्चात पारी द्वारा आलेखित वसीयत दिनांक 7.6.82 से पारी बाई के स्वर्गवास के बाद इंतकाल सं0 30 दिनांक 1.10.1990 से अपीलांट के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा ग्राम बोरखण्डी स्थिति आराजी मे से 1.48 है0 आराजी सुगनाबाई को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.2.2004 से बेचान कर कब्जा दिया गया। जिस पर इंतकाल नं0 210 दिनांक 20.2.04 तस्दीक किया गया व शेष 0.6 है0 आराजी रेस्पो0 11 को दिनांक 26.11.2002 को बेचान किया गया जिस पर इंतकाल नम्बर 186 दिनांक 2.5.03 तस्दीक किया गया। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 क्रम 11 के पक्ष मे आलेखित विक्रय पत्र दिनांक 26.11.2002 के संबध मे न्यायालय एडीजे क्रम 3 मे वाद सं0 5/15 जेरकार है साथ ही वर्णित आराजी ख0 नं0 79 रकबा 0.28 है0 व ख0 नं0 80 रकबा 0.05 है0 आराजी के संबध मे न्यायालय एडीजे क्रम–3 कोटा मे बाद जेरकार है इस प्रकार विक्रय पत्र के निरस्तीकरण के बाद न्यायालय मे जेरकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो का गुणावगुण पर अवलोकन नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि विक्रय पत्र दिनांक 6.12.2000 को निरस्त किये जाने का वाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायालय कोटा मे वाद सं0 24/14 प्रस्तुत किया। उक्त वाद दिनांक 7.4.15 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का वर्णित आराजी पर किसी प्रकार का वैधानिक अधिकार स्वीकार नही करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल को खारिज करने का आदेश कर त्रुटि की है। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे एवं इंतकाल सं0 186 दिनांक 2.6.2003 ग्राम बोरखंडी को बहाल किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे अपील के तथ्यों को दोहराते हुये प्रकरण मे लिखित बहस पेश की जिसका संक्षिप्त सार है कि भीमा जी के नाम ग्राम बोरखंडी स्थित आराजी भीमा के खातेदारी की आराजी थी। उनकी मृत्यु के बाद इंतकाल नम्बर 19 दिनांक 18.3.1971 से उनकी पत्नी पारी बाई के नाम तस्दीक किया गया। पारीबाई द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 7.6.1982 के आधार पर इंतकाल नं0 30 दिनांक 1.10.90 भंवरलाल के पक्ष मे आलेखित किया। इंतकाल नं0 19 की अप्रसन्नता से नाथूलाल द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे अपील सं0 101/14 पेश की जिसे दिनांक 13.11.18 को स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार लाडपुराकोटा प्रतिप्रेषित किया गया। इंतकाल नं0 30 की अप्रसन्नता से नाथूलाल द्वारा अपील सं0 103/14 प्रस्तुत की जिसे भी दिनांक 13.11.18 को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया गया जिसकी अपील सं0 105/18 माननीय न्यायालय मे पेश की है। ग्राम बोरखंडी के ख0 नं0 40 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा ख0 नं0 41/294 रकबा 12 बिस्वा के बाद सेटलमेंट नवीन ख0नं0 79 रकबा 0.28 है0 ख0 नं0 80 रकबा 0.05 है0 कुल 3 किताकी 1.87 है0 कायम किये गये जो भंवरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे पारी बाई द्वारा आलेखित वसीयत से नाम दर्ज किया गया जिस पर भंवरलाल एक मात्र बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करने लगे। भंवरलाल द्वारा ख0 नं0 76 रकबा 1.54 है0 आराजी मे से बेचान सुगना बाई को दिनांक 9.2.2004 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया जिसके आधार पर इंतकाल नं0 210 दिनांक 20.2.2004 सुगना बाई के नाम तस्दीक किया गया जिसकी अपील नाथूलाल क्षरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे अपील सं0 7/14 प्रस्तुत की जो वर्तमान मे जेरकार है तथा सुगना बाई के पक्ष मे आलेखित विक्रय पत्र के संबध मे नाथूलाल द्वारा न्यायालय एडीजे क्रम–3 कोटा मे प्रस्तुत वाद सं0 7/15 वर्तमान मे जेरकार है। सुगनाबाई को बेचान करने के बाद शेष रकबा 0.06 है0 को भंवरलाल ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.11.2002 को कोटा एज्युकेशन के नाम तस्दीक किया गया उक्त इंतकाल की अपील नाथूलाल द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे अपील सं0 102/14 पेश उक्त अपील दिनांक 13.11.18 को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया गया जिसकी अपील सं0 102/18 माननीय न्यायालय मे पेश की है। कोटा एज्युकेशनके नाम पंजीकृत विक्रय पत्र बावत नाथूलाल ने न्यायालय एडीजे क्रम–3 मे वाद सं0 5/15 प्रस्तुत किया जो जेरकार है। भंवरलाल ने ग्राम बोरखउी स्थित आराजी ख0 नं0 79 रकबा 0.28 है0 का बेचान बजरंगलाल को दिनांक 30.5.2005 को पंजीकृत विक्रय से किया जिस पर इंतकाल सं0 239 दिनांक 6.6.05 तस्दीक किया गया जिसकी अपील नाथूलाल ने अपील सं0 6/14 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे पेश की जो जेरकार है साथ ही पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.5.2005 के बावत न्यायालय एउीजे नम्बर 3 कोटा मे वाद सं0 6/15 जेरकार है। ग्राम बोरखंडी के ख0 नं0 80 रकबा 0.05 है0 भूमि भंवरलाल द्वारा बजंरगलाल को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.11.15 से बेचान किया गया। विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल नम्बर 255 दिनांक 5.12.2005 बजरंगलाल के पक्ष मे तस्दीक किया गया जिसकी अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे अपील सं0 8/14 प्रस्तुत की साथ ही उक्त

विक्रय पत्र के संबध मे न्यायालय मुख्य सिविल न्यायाधीश कोटा मे वाद सं0 24/14 प्रस्तुत किया उक्त वाद आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पर दिनांक 7.4.15 को खारिज किया गया जिसके विरूद्ध नाथूलाल द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। इंतकाल सं0 148 दिनांक 6.12.2000 चतुर्भुज, मन्ना के बाद भंवरलाल के नाम तस्दीक किया गया जिसकी अपील 5/14 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे जेरकार है। नाथूलाल ने वर्णित आराजी के संबध मे घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं विभाजन का वाद सं0 14/14 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे प्रस्तुत कर रखा है जो जेरकार है। भूरी बाई व श्रवणी बाई द्वारा घोषणा खातेदारी का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे पेश किया गया उक्त वाद दिनांक 4.9.2004 को गुणावगुण पर खारिज किया गया। जिसकी अप्रसन्नता से अपील सं0 116/2004 प्रस्तुत की गई उक्त अपील मे दिनांक 17.11.2005 को श्रवणी भूरी द्वारा राजीनामा कर लिये जो अपील को विड्रो कर लिया। उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश व डिक्री दिनांक 4.9.04 की अप्रसन्नता से श्रवणी व भूरी द्वारा पुनः अपील पेश की गई उक्त अपील भी कोटा ऐज्युकेशन व सुगना बाई को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अपील भी खारिज हो गई। श्रवणी भूरी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश व डिक्री की अप्रसन्नता से पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील सं0 362/13 पेश की गई उक्त अपील भी भूरी बाई श्रवणी द्वारा विड्रो कर ली गई जिसके विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का आदेश एवं डिक्री दिनांक 4.9.2004 आज भी प्रभावी होते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की अपील स्वीकर कर ली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। उक्त आराजी के संबध मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे ही पक्षकारान के मध्य विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सकेगा। वर्णित आराजी का बेचान हो चुका है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। उक्त वर्णित आराजी के संबध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क, ख) उत्तर कोटा मे वाद जेरकार है इसके बावजूद भी इंतकाल खारिज करने का आदेश प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय त्रुटि की है। नाथूलाल छोटूलाल कृष्णा मालव ने वर्णित आराजी के संबध मे थाना नयानुरा व थाना बोरखेडा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई उक्त रिपोर्टो मे भी एफआर पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के प्रार्थना का निस्तारण किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपीलांट ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही करने बावजूद भी 11 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील मे मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र मे दिनाक 2.5.2003 से 4.4.14 को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 21.4.2014 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 4.4.2014 से 21.4.14 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नही चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मे विलम्ब कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपने अपील मेमो मे वर्णित इंतकाल की जानकारी 11.3.2014 को अपील मैमो के मद नं0 7 मे वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी होना दिनांक 11.3.14 वर्णित किया है उक्त तथ्यो को अपीलांट द्वारा लिखित बहस मे व जवाब धारा 5 मियाद अधि0 मे विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी भी उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर अपील को अंदर मियाद होना मानते हुये स्वीकार कर लिया जो त्रुटिपूर्ण एंव अवैधानिक है। अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे 2002 वो.2 सुप्रीम कोर्ट पेज 346 इंतकाल समरी प्रोसीडिंग है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही होता, आरआरटी 2018 वो. प्रथम पेज 769 आदेश एवं डिक्री प्रभावी है तो उसको चुनोती दिया जाना चाहिये। एसएलटी 205 वी (2007) सुप्रीम कोर्ट पेज नंम्बर 215 वसीयत के दावे के जेरकार रहते वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये इंतकाल को निरस्त नही किया जा सकता। आरआटी 2016–17 पेज 181 महिला को कोई भी सम्पत्ति कही से भी प्राप्त हो वह उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है जिसका उसको वसीयत आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। डीएनजे राज0 1996 पेज 738 आरबीजे 2012 राज0 हाई कोर्ट पेज नम्बर 786, आरबीजे 2010 राज0 हाई कोर्ट पेज नं0 289, आरआरटी 2014 वो. प्रथम पेज नम्बर 154 प्रस्तुत अपील बाहर है। आरबीजे 2005 सुपीम कोर्ट पेज 735 मियाद के प्रार्थना पत्र के निर्णय करते समय न्यायालय अंतर निहित शक्तियां का इस्तेमाल कर मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही कर सकता। आरआरटी 2018 वो.II पेज 879, आरबीजे2006 हाई कोर्ट पेज नं0 78 आरआरटी 2015 वो. प्रथम पेज नंम्बर 168 आरआरटी 2009 वो. प्रथम पेज नमबर 179 एआईआर1964 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1336 एसीसी 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 4475 मियाद बाहर अपील परमियाद के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अपील का मेरिट पर निर्णय नही किया जा सकता। आरबीजे 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज नं0 810 मियाद कण्डोन किये बिना न्यायालय प्रकरण को मेरिट पर सुनवाई नही कर सकता। आरआरटी 2003 वो. प्रथम हाई कोर्ट पेज नम्बर 650 आरआरटी 2013 वो. II पेज नम्बर 881, आरआरटी 2019 वो. I पेज नम्बर 495 जहां नियमित वाद जेरकार हो वहां पर इंतकाल की कार्यवाही पर ध्यान नही दिया जाना चाहिये। एआईआर 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 2139 आरआरटी 2017 वो.II पेज नम्बर 870 आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी पर आदेश प्रदान किये बिना दस्तावेज को पढा नही जा आरआरटी 2016/17 पेज 219 बावत 30 वर्ष बाद इंतकाल की अपीले कई व्यक्तियों को बेचान बाद मे पुत्री द्वारा दावा किया जिस पर न्यायालय द्वारा अपील खारिज की और वर्णित किया कि 30 वर्ष बाद अपील करने का कोई आधार नही है अधिकार प्राप्ति हेतु दावा करना चाहिये। आरआरटी 2018 वो. II पेज 1057 वसीयत आदि के विवाद मे दावा करना चाहिये, आरआरटी 2013 वो. II पेज नम्बर 841 आरआरटी 2009 वो. II पेज 729 रजिस्टर्ड दस्तावेज को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज की सही होने की उपधारणा की जाएगी। उक्त न्यायिक नजीरों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त किया जावे एवं इंतकाल नम्बर 186 दिनांक 2.5.2003 ग्राम बोरखंडी. बहाल किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 एवं रेस्पो0 क्रम–2/1 ता 2/5 व 2/6/1ता 2/6/4 एंव 3,4,5,6 7,,8,9,10 ने बहस मे बताया कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 2.5.2003 को नामा0 सं0 186 ग्राम बोरखंडी सम्पूर्ण तथ्यो की जांच किये बिना गलत रिकार्ड के आधार पर भंवरलाल द्वारा रेस्पो0 क्रम–11 को किये गये बेचान के आधार पर रेस्पो0 क्रम–11 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर किया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निरस्त किया है। बह समे बताया कि ग्राम बोरखंडी के ख0 नं0 76 की 1.54 है0, ख0 नं0 79 की 0.28 है0. ख0 नं0 80 की 0.05 है0 कुल किता 3 की 1.87 है0 भूमि का नामा0 सं0 30 से मृतक पारीबाई के स्वर्गवास के पश्चात केवल मात्र भंवरलाल के वसीयत के आधार पर भीमा का पुत्र बताकर अपने पक्ष मे तस्दीक करवा लिया जबकि विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है और उसकी वसीयत नही हो सकती। भंवरलाल रेस्पो. भीमा का अथवा पारी बाई का पुत्र नही है और ना ही गोदपुत्र है। वसीयत दिनांक 7.6.1982 ग्राम नयानोहरा की भूमि के संबध मे भंवरलाल के पक्ष मे लिखना बताया गया जबकि इंतकाल ग्राम नयानोहरा स्थित भूमि का न खोला जाकर ग्राम बोरखण्डी की पुराने नम्बर नये खसरा नम्बर बताकर भंवरलाल के पक्ष मे मिली भगत कर गलत गांव की भूमि का इंतकाल सं0 30 तस्दीक किया गया जबकि ग्राम बोरखण्डी की भूमि के बावत कोई वसीयत आलेखित नही की गयी है। इस कारण इंतकाल सं0 30 व उसके आधर पर किये गये बेचान से खोला गया इंतकाल सं0 186 खारिज किया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। बहस मे यह भी बताया कि इंतकाल सं0 30 मे मृतक पारीबाई परिवार का सजरा अंकित नही किया है जबकि पारीबाई की मृत्यु के समय छोटीबाई भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थीजिनका कोई हवाला इंतकाल मे नही दिया गया। इस कारण उक्त गलत रूप से इंतकाल नं0 30 के आधार पर भूमि बेचान की गई भूमि अवैध व प्रभाव शून्य है। राजस्व रिकार्ड की नकले निकलाने पर उक्त तथ्यों की सर्वप्रथम दिनांक 11.3.2014 को जानकारी होने ने पर नकलो हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त कर रूपयो के इंतजाम कर लगने वाला समय मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने डिले कन्डोन कर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का आध्योपांत अवलोकन कर बहस एंव लिखित बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाने बावत अपीलांट द्वारा दिनांक 9.5.2019 प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपीयां सुसंगत दस्तावेज व प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख अनुसार विवादित आराजी के खातेदार ने अपने ख0 नं0 76 रकबा 1.54 है0 मे से रकबा 0.06 है0 पूर्वी तरफ का कोटा एजूकेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसायटी को बेचान करने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तस्दीक नामा0 सं0 186 ग्राम बोरखंडी को नाथूलाल द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे इस आधार पर चुनोती दी गई कि ग्राम बोरखंडी स्थित आराजी ख0 नं0 76 रकबा 1.54 है0, ख0 नं0 79 रकबा 0.28 है0 ख0 नं0 80 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 की 1.87 है0 भूमि का नामा0 सं0 30 से मृतक पारीबाई के स्वर्गवास के पश्चात केवल मात्र भवंरलाल के नाम वसीयत के आधार पर भीमा का पुत्र बताकर तस्दीक किया गया जबकि विवादित भूमि पुश्तेनी भूमि है उसकी वसीयत नही हो सकती। भंवरलाल भीमा व पारीबाई का पुत्र नही है और ना ही गोदपुत्र है। वसीयत दिनांक 7.6.1982 ग्राम नयानोहरा की भूमि के संबध मे भंवरलाल के पक्ष मे लिखना बताया गया जबकि इंतकाल ग्राम नयानोहरा स्थित भूमि का न खोला जाकर ग्राम बोरखण्डी की पुराने नम्बर नये खसरा नम्बर बताकर भंवरलाल के पक्ष मे मिली भगत कर गलत गांव की भूमि का इंतकाल सं0 30 तस्दीक किया गया जबकि ग्राम बोरखण्डी की भूमि के बावत कोई वसीयत आलेखित नही की गयी है। इस कारण इंतकाल सं0 30 व उसके आधार पर किये गये बेचान से खोला गया इंतकाल सं0 186 खारिज होने योग्य है। उक्त इंतकाल सं0 30 मे मृतक पारीबाई परिवार का सजरा अंकित नही किया है जबकि पारीबाई की मृत्यु के समय छोटीबाई भूरी व श्रवणी पुत्रियां मौजूद थी जिनका कोई हवाला इंतकाल मे नही दिया गया। इस कारण उक्त गलत रूप से इंतकाल नं0 30 के आधार पर भूमि बेचान की गई भूमि अवैध व प्रभाव शून्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 से नामा0 सं0 19 एवं नामान्तरकरण सं0 30 को खारिज किये जाने नामा0 सं0 19 एवं नामा0 सं0 30 के खारिज होने से उनके क्रम मे पश्चातवर्ती हस्तान्तरण नामा0 सं0 186 को खारिज किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को विवादित भूमि से संबधित विभिन्न न्यायिक प्रकरणो की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर समस्त प्रभावित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पारीबाई द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 7.6.1982 के आधार पर इंतकाल नं0 30 दिनांक 1.10.90 भंवरलाल के पक्ष मे आलेखित किया। तत्पश्चात अपीलांट द्वारा ग्राम बोरखण्डी स्थिति आराजी मे से 1.48 है0 आराजी सुगनाबाई को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9.2.2004 से बेचान कर कब्जा दिया गया। जिस पर इंतकाल नं0 210 दिनांक 20.2.04 तस्दीक किया गया व शेष 0.6 है0 आराजी रेस्पो0 11 को दिनांक 26.11.2002 को बेचान की गई जिसका इंतकाल नम्बर 186 दिनांक 2.5.03 तस्दीक किया गया। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 क्रम 11 के पक्ष मे आलेखित विक्रय पत्र दिनांक 26.11.2002 के संबध मे

न्यायालय एडीजे क्रम 3 मे वाद सं0 5/15 जेरकार है साथ ही वर्णित आराजी ख0 नं0 79 रकबा 0.28 है0 व ख0 नं0 80 रकबा 0.05 है0 आराजी के संबध मे न्यायालय एडीजे क्रम–3 कोटा मे बाद जेरकार है इस प्रकार विक्रय पत्र के निरस्तीकरण के बाद न्यायालय मे जेरकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजो का गुणावगुण पर अवलोकन नही किया। अपीलांट का यह भी तर्क है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का मय शपथ पत्र विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था जिसका रेस्पो0 क्रम--1 द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही करने बावजूद भी 11 वर्षो बाद प्रस्तुत अपील मे मियाद कण्डोन किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है। धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र मे दिनाक 2.5.2003 से 4.4.14 को कण्डोन करने की सहायता चाही गई जबकि अपील दिनांक 21.4.2014 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दिनांक 4.4.2014 से 21.4.14 के लगे समय को कण्डोन किये जाने की किसी प्रकार की सहायता नही चाहने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मे विलम्ब कण्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपने अपील मेमो मे वर्णित इंतकाल की जानकारी 11.3.2014 को अपील मैमो के मद नं0 7 मे वर्णित किया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी होना दिनांक 11.3.14 वर्णित किया है उक्त तथ्यो को अपीलांट द्वारा लिखित बहस मे व जवाब धारा 5 मियाद अधि0 मे विस्तृत रूप से उल्लेखित करने के बावजूद भी भी उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है''। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम ग्राम बोरखंडी के नामा0 सं0 186 दिनांक 2.5.03 के विरूद्ध रेस्पो0 क्रम 1 नाथूलाल द्वारा दिनांक 21.4.2014 को लगभग 11 वर्ष बाद अपील विलम्ब से पेश की गई जो मियाद बाहर थी। इंतकाल समरी प्रोसीडिंग है जिसमे स्वत्व का निर्धारण नही होता, आदेश एवं डिक्री प्रभावी है तो उसको चुनोती दिया जाना चाहिये। पारीबाई द्वारा आलेखित पंजीकृत वसीयत दिनांक 7.6.1982 के संबध मे नाथूलाल द्वारा सिविल न्यायाधीश (क.ख.) उत्तर कोटा मे वाद प्रस्तुत कर रखा है जो जेरकार है वसीयत के दावे के जेरकार रहते वसीयत के आधार पर तस्दीक किये गये इंतकाल को निरस्त नही किया जा सकता क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज की सही होने की उपधारणा की जायेगी तथा अंतिम निर्णय सिविल न्यायालय का ही मान्य रहेगा। पारी बाई को वर्णित आराजी भी से प्राप्त हुई है जिसकी वसीयत करने का उसे अधिकार प्राप्त होता है तथा जहां पर वसीयत आदि का विवाद हो साथ ही अधिकारों का निस्तारण करना हो इस संबध मे अपील नही कर दावा कर घोषणा कराना चाहिये। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निर्णय करते समय न्यायालय अंतर निहित शक्तियां का इस्तेमाल कर मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील पर मियाद के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये बिना तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से प्रकट होता है कि विवादित भूमि के संबध मे विभिन्न प्रकरण राजस्व न्यायालयों एवं सिविल न्यायालयों मे विचाराधीन है तथा फर्जी दस्तावेज के संबध मे पुलिस मे मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिसमे एफ.आर. दी गई जो न्यायालय से स्वीकार की जाना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे जहां विवादित आराजी को लेकर विभिन्न न्यायालयों मे प्रकरण विचाराधीन रहते अथवा नियमित वाद जेरकार हो वहां पर इंतकाल की कार्यवाही को 11 वर्ष बाद बिना कोई आधार के नाथूलाल द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि मध्य मानते हुये इंतकाल सं0 186 दिनांक 2.5.2003 ग्राम बोरखंडी को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही ठहराया जा सकता जबकि पत्रावली मे विलम्ब माफ करने का कोई समुचित व युक्तियुक्त आधार भी मौजूद नही है। उक्त विवेचित तथ्यों के संदर्भ मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत उक्त न्यायिक उद्धरण चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 13.11.2018 पारित कर विवादित आराजी के नामान्तरकरण सं0 186 को खारिज करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 102/14 (अपील) नाथूलाल बनाम नारायण वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 अपास्त किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा